न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 153 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 88,53 आरटीए

1. जगतार सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बनाम् — वादीगण

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. स्वर्ण कौर पुत्री श्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखजीत कौर पत्नी श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. हरजीत कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कुलदीप मूण्ढ़—वकील वादीगण
2— श्री गगन मिढ़ा—वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :— 23.4.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 वादीगण की बहिन, प्रतिवादीया सं. 3 वादी सं. 1 की पत्नी एवं प्रतिवादीया सं. 4 वादी सं. 2 की पत्नी है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 6.578 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादीया सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादीया सं. 2 की शादी अच्छा दान—दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। अब प्रतिवादीया सं. 2 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा षेष नही रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :—

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादी सं. 1 जगतार सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह एवं प्रतिवादीया सं. 3 सुखजीत कौर पत्नी श्री जगतार सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/189	21	1,2/0.253 है.प्र.
148/188	20	18,19,20,22,23/0.253 है.प्र.
145/191	40	16/1/0.228 है.,16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है.,25/2/0.025 है.
145/192	49	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.
146/191	39	22/0.253 है. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह एवं प्रतिवादीया सं. 4 हरप्रीत कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/189	21	3/0.253 है.
147./188	19	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,24/0.253 है.प्र.
147/189	22	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.
148/190	36	2,9,12/0.253 है.प्र. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/188	20	21/0.253 है.
147/188	19	25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को विरासतन अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 5 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है एवं वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 6.578 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 4 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे एवं वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी जगतार सिह ने अपना शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श प्रस्तुत किये गये :–

1. चक 5 डीएलपी खाता संख्या 33/30 ज.स. 2071–74 प्रदर्श–1
2. चक 5 डीएलपी नामान्तरण संख्या 570 दिनांक 04.06.2012 प्रदर्श–2

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 5 डीएलपी खाता संख्या 33/30 ज.स. 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 1 गुरजन्ट सिह पुत्र प्रीतमसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन, प्रतिवादी संख्या 3 वादी सं. 1 की पत्नी एव प्रतिवादी संख्या 4 वादी संख्या 2 की पत्नी है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 5 डीएलपी नामान्तरण संख्या 570 दिनांक 04.06.2012 की प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन, प्रतिवादी संख्या 3 वादी सं. 1 की पत्नी एव प्रतिवादी संख्या 4 वादी संख्या 2 की पत्नी है। जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी खाता संख्या 33/30 ज.स. 2071–74 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो चक 5 डीएलपी नामान्तरण संख्या 570 दिनांक 04.06.2012 की प्रति से विरास्तन साबित है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वादी संख्या 1 अपना समस्त हिस्सा प्राप्त न कर कुछ हिस्सा अपनी पत्नि प्रतिवादी सख्या 3 सुखजीतकौर तथा वादी संख्या 2 अपना समस्त हिस्सा प्राप्त न कर कुछ हिस्सा अपनी पत्नि प्रतिवादी सख्या 4 हरजीत कोर के पक्ष में भी छोड़ रहे है। लेकिन यह कार्यवाही पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए की गई है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में हुए हिस्से के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डी.एल.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

की के खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 6.578 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 4 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

(क) वादी सं. 1 जगतार सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह एवं प्रतिवादीया सं. 3 सुखजीत कौर पत्नी श्री जगतार सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. के खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/189	21	1,2/0.253 है.प्र.
148/188	20	18,19,20,22,23/0.253 है.प्र.
145/191	40	16/1/0.228 है.,16/2/0.025 है., 25/1/0.228 है.,25/2/0.025 है.
145/192	49	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.
146/191	39	22/0.253 है. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 जगदेव सिंह पुत्र श्री गुरजन्ट सिंह एवं प्रतिवादीया सं. 4 हरप्रीत कौर पत्नी श्री जगदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/189	21	3/0.253 है.
147/188	19	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,24/0.253 है.प्र.
147/189	22	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.
148/190	36	2,9,12/0.253 है.प्र. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमि :–

चक 5 डी.एल.पी. खाता सं. 33/30 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/188	20	21/0.253 है.
147/188	19	25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया